No.6-4/2013-SPG
Government of India
Ministry of Communications and I.T.
Department of Posts

Dak Bhawan, Parliament Street,
New Delhi-110001
Dated the 18th March, 2015

To

The Chief Postmaster General,
All Circles/ All Head of Units
Department of Posts

Subject: Recruitment Rules for the posts of (i) Manager; and (ii) Senior Manager (iii) Senior Manager (NFSG) in Mail Motor Service, D/o Posts – reg.

Madam/Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Department of Posts, Mail Motor Service, Senior Manager (NFSG), Senior Manager and Manager Recruitment Rules, 2015 notified in the Gazette of India on 18th Feb., 2015 for information and record.

Yours faithfully,

Encl : As above

(Manoj Sharma)
Assistant Director General (SGP)

Copy forwarded for information and necessary action to :

1. Lok Sabha Secretariat / Rajya Sabha Secretariat.
2. The Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi w.r.t. their letter No 3/21A(4)/2014-RR dated 28.10.2014.
3. M/o Law and Justice (Legislative Department), Shastri Bhavan, New Delhi
4. Department of Personnel & Training, North Block, New Delhi
5. General Manager, CEPT – With a request to upload the order in India Post Website.
6. Guard File
7. Concerned Sections, Department of Posts, Dak Bhavan, New Delhi

[AJAY RAJ SINGH CHAUHAN]
SECTION OFFICER [SPG]

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 102] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 18, 2015/माघ 29, 1936
No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 18, 2015 /MAGHA 29, 1936

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 2015

सा.का.नि. 109(अ).—राश्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए और डाक विभाग ज्येश्ठ प्रबंधक (मेल मोटर सेवा), भर्ती नियम, 1989 और मेल मोटर सेवा (प्रबंधक) भर्ती नियम, 1983 को, उन बातों के सिवाय, अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, डाक विभाग की मेल मोटर सेवा में ज्येश्ठ प्रबंधक (गैर–कार्यात्मक चयन ग्रेड), ज्येश्ठ प्रबंधक और प्रबंधक के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग, मेल मोटर सेवा, ज्येश्ठ प्रबंधक (अकृत्यिक चयन श्रेणी), ज्येश्ठ प्रबंधक और प्रबंधक भर्ती नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में प्रका ान की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों के उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिश्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि :– उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिश्ट हैं।

4. निरर्हताएं :– वह व्यक्ति,–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार के लिए लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. ि ाथिल करने की भाक्ति :– जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आव यक या समीचीन है, वहां उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से पराम र्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदे ा द्वारा ि ाथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति:–इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर निकाले गए आदे ों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व–सैनिकों और अन्य वि ोश प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित भौक्षिक और अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
प्रबंधक	*13 *(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 3 15600–39100 रू. + ग्रेड वेतन 5400 रू.	लागू नहीं होता	अधिकतम 35 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदे ों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक ि थिल की जा सकती है।) **टिप्पणी**– आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदे ा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं क मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदे ा के चंबा जिले के लाहौल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	(i) किसी मान्यताप्राप्त वि वविद्यालय या संस्था से यांत्रिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में डिग्री /प्रौद्योगिकी स्नातक (ii) भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी सरकारी या अर्धसरकारी या लोक क्षेत्र उपक्रम या वाणिज्यिक संगठन में मोटर ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक के प्रचालन में 3 वर्श का अनुभव **टिप्पणी 1**:– अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की द ाा में उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार ि ाथिल की जा सकती है। **टिप्पणी 2** :– अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं), उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की द ाा में तब ि ाथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदाय के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है। **वांछनीय**:– किसी मान्यताप्राप्त वि वविद्यालय से यांत्रिक या ऑटोमोबाइल इंजीनियरी में या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और भौक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगीं या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति–सीधी भर्ती अथवा प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रति ातता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की स्थिति में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो इसकी संरचना किस प्रकार की है?	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने से पहले संघ लोक सेवा आयोग से पराम र्ि करना आव यक है।
8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा किए जाने वाले उम्मीदवारों	सीधी भर्ती द्वारा : **टिप्पणी** : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने अथवा लंबी बीमारी अथवा अध्ययन छुट्टी अथवा अन्य	लागू नहीं होता।	**प्रोन्नति:** विभागीय प्रोन्नति समिति (पुश्टिकरण	संघ लोक सेवा आयोग के साथ

	के लिए एक वर्ष	परिस्थितियों के अधीन एक वर्श या इससे अधिक की अवधि के लिए खाली हुए रिक्त पद या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्र ासन या केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों या वि वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या अर्धसरकारी अथवा स्वायत्त निकायों अथवा कानूनी निकायों के निम्नलिखित अधिकारियों के द्वारा प्रतिनियुक्ति पर भरे जा सकते है। (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृ ा पद धारण किए हुए हैं, या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड – 2, 9300–34800 रू. + ग्रेड वेतन 4800 रू. में नियमित आधार पर नियुक्ति के प चात् उस श्रेणी में दो वर्श की सेवा की है, या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड –2, 9300–34800 रू. + ग्रेड वेतन 4600 रू. में नियमित आधार पर नियुक्ति के प चात् उस श्रेणी में तीन वर्श की सेवा की है, और (ख) स्तम्भ 7 के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया 3 वर्श से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्श से अधिक नहीं होगी।		पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे– 1. सदस्य, (डाक सेवा बोर्ड) – अध्यक्ष; 2. मुख्य महाप्रबंधक (डाक व्यवसाय) या ज्येश्ठ उप महानिदे ाक – सदस्य; 3. उप महानिदे ाक (कार्मिक)– सदस्य	पराम ि करना आव यक है।

1	2	3	4	5	6	7
1. ज्येश्ठ प्रबंधक	*3 *(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 3 15600–39100 रू. + ग्रेड वेतन 6600 रू.	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा प्रबंधक, जिसकी वेतन बैंड–3, 15,600–39,100 रू. + ग्रेड वेतन–5400 रू. की श्रेणी में पांच वर्श की नियमित सेवा पूरी हो और रफी अहमद किदवई राश्ट्रीय डाक अकादमी, गाजियाबाद में ज्येश्ठ प्रबंधक के पद से जुड़े कार्यों और दायित्वों से संबंधित विशयों पर कम से कम दो सप्ताह का विभागीय प्रि ाक्षण लिया हो। **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिश्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येश्ठ व्यक्तियों के	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) : 1. सदस्य, (डाक सेवा बोर्ड) – अध्यक्ष; 2. मुख्य महाप्रबंधक (डाक व्यवसाय) या ज्येश्ठ उप महानिदे ाक	संघ लोक सेवा आयोग के साथ पराम ि करना आव यक नहीं है।

			संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिश्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पणी 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारि ों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारि ों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	– सदस्य; 3. उप महानिदे ाक (कार्मिक)–सदस्य	

1	2	3	4	5	6	7
ज्येशठ प्रबंधक (अकृत्यिक चयन श्रेणी)	*1 *(2015) कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित अननुसचिवीय	वेतन बैंड – 3 15600–39100 रू. + ग्रेड वेतन 7600 रू.	अचयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति** : ऐसे ज्येशठ प्रबंधक जिनकी वेतन बैंड – 3, 15600–39100 रू. + ग्रेड वेतन 6600 रू. श्रेणी में पांच वर्श की नियमित सेवा है। **टिप्पणी 1 :** जहां ऐसे कनिश्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येशठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्श से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिश्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। टिप्पणी 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारि ों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारि ों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति हेतु विचार करने के लिए) : 1. सदस्य, (डाक सेवा बोर्ड) – अध्यक्ष; 2. मुख्य महाप्रबंधक (डाक व्यवसाय) या ज्येशठ उप महानिदे ाक – सदस्य; 3. उप महानिदे ाक (कार्मिक)–सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग के साथ पराम ी करना आव यक नहीं है।

[फा. सं. 6–4/2013–एसपीजी]

राजकुमार, निदे ाक (कर्मचारीवृंद)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Posts)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th February, 2015

G.S.R. 109(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Posts, Senior Manager (Mail Motor Service), Recruitment Rules, 1989 and Mail Motor Service (Manager) Recruitment Rules, 1983, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Senior Manager (Non-Functional Selection Grade), Senior Manager and Manager in the Mail Motor Service of the Department of Posts, namely:—

1.Short title and Commencement - (1) These Rules may be called the Department of Posts, Mail Motor Service, Senior Manager (Non-Functional Selection Grade), Senior Manager and Manager Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Number of posts, their Classification and the Pay Band and Grade Pay or Pay Scale --The number of posts, their classification and the Pay Band and Grade Pay/Scale of Pay attached thereto shall be as specified in Columns [2] to [4] of the Schedule, annexed to these Rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.— The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns [5] to [13] of the aforesaid Schedule.

4. Disqualifications -- No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax —**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons in consultation with the Union Public Service Commission.

6. **Saving --** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	**Number of posts**	**Classification**	**Pay Band and Grade Pay/ Scale of pay**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits**	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Manager	13* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Pay Band – 3, Rs. 15600-39100/- with Grade Pay Rs.5400/ -	Not applicable	Not exceeding 35 years. (Relaxable for Government servants by 5 years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government).	Essential (i) Bachelor of Engineering/Bachelor of Technology in Mechanical or Automobile Engineering from a recognized University/Institute. (ii) 3 years experience, in operation of Motor Transport Traffic in a	Not applicable

					Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidate in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu & Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	Govt./Semi Govt./PSU/Commercial Organisation listed on the stock exchange(s) of India. Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the U.P.S.C for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 2: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the U.P.S.C. for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the U.P.S.C. is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill the vacancies reserved for them. Desirable : Master of Engineering/Master of Technology in Mechanical or Automobile Engineering from a Recognized University/Institute	

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.**	**In case of recruitment by promotion/deputation/absorptio, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.**
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1 Year for Direct Recruits	By Direct Recruitment . Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation (including short term contract) basis from officers under Central Government/state Governments/ UT Administrations/ PSUs/ Universities/recognized Research Institutes/Semi-Government or Autonomous Bodies or Statutory Organisations. (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre/ department ; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2 of Rs. 9300- Rs. 34800 with Grade Pay of Rs. 4800 or equivalent in the parent cadre or department and . (iii) With three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in PB-2, Rs. 9300- Rs. 34800 with Grade Pay of Rs. 4600 or equivalent in the parent cadre or department and (b) Possessing educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column 7. (Period of deputation (ISTC) including	Not applicable:	Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation): (i) Member (Postal Services Board) – Chairman (ii) Chief General Manager (Mail Business)/Senior Deputy Director General – Member (iii) Deputy Director General (Personnel) – Member	Consultation with the Union Public Service Commission necessary on each occasion.

	period of deputation (ISTC) in another Ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/Department of the Central Govt shall ordinarily not to exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (ISTC) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications).			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Senior Manager	3* (2015) * Subject to variation dependent on workload.	GCS Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Pay Band 3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 6600/-	Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Manager in the Pay Band-3 (Rs. 15,600-39,100 with Grade Pay of Rs .5400 with five years' regular service in the grade and have undergone departmental training in Rafi Ahmed Kidwai National Postal Academy, Ghaziabad for a minimum period of two weeks on subjects relevant to duties and responsibilities of Senior Manager. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): (i) Member (Postal Services Board) – Chairman (ii) Chief General Manager (Mail Business)/ Senior Deputy Director General - Member (iii) Deputy Director General (Personnel) – Member	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Senior Manager (Non-Functional Selection Grade)	1* (2015) * Subject to variation dependent on worklod.	General Central Service, Group 'A' Gazetted Non-Ministerial	Pay Band – 3, Rs. 15600-39100 with Grade Pay Rs. 7600/-	Non-Selection	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)	(13)
Promotion: Senior Manager in the Pay Band-3 of Rs. 15600-39100 with Grade Pay of Rs. 6600 with 5 years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) : (i) Member (Postal Services Board) – Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission not necessary.

qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. **Note 2**: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006 (the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay/pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	(ii) Chief General Manager (Mail Business)/Senior Deputy Director General – Member (iii) Deputy Director General (Personnel) – Member	

[F. No. 6-4/2013-SPG]

RAJ KUMAR, Director (Staff)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.